तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 82/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार मेहता, पता ए रोड़ सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.03.2019 में उसके द्वारा (1) पाल लिंक रोड़ पर कुल कितने बहुमंजिला भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए है बतावे। कितने इन भवनों को निर्माण स्वीकृति व नक्शे पास किये है बतावे। कितनी बहुमंजिला भवन निर्मित हुई है व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 455 दिनांक 10.04.19 द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करने की सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 626 दिनांक 21.05.2019 के रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर नगर निगम जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर निगम जोधपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 454 दिनांक 10.04.19 द्वारा अंतरित किया गया तथा प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की गई। अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित किया कि धारा 6(3) के तहत आवेदन संबंधित को 08.04.19 तक प्रेषित नहीं कर पत्र क्रमांक 455 दिनांक 10.04.19 से भेजा जो अधिनियम का उल्लघंन है अब वाछित सभी सूचना संबंधित से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य हो चुके है। चूंकि अपीलार्थी का अपील में मुख्य एतराज यही है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत अवधि 5 दिन समयावधि में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया है। अपील के संलग्न प्रस्तुत फोटो प्रति दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.19 को 16.34 पी.एम. पर कार्यालय में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 6, 7/4/19 (शनिवार व रविवार) को राजपत्रित अवकाश एवं दिनांक 08.04.19 को स्थानीय अवकाश घोषित होने से लोक सूचना अधिकारी को कार्य दिवस दिनांक 05.04.19, 09.04.19 मिला तथा दिनांक 10.04.19 को प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत स्थानान्तरित कर दिया गया अतः मेरे विचार से लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत अवधि में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः हम लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत है। विधिक प्रावधानों के तहत लगातार...	

अपीलार्थी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग (नगर निगम जोधपुर) के लोक सूचना अधिकारी को -स्थानान्तरित करने के उपरान्त भी उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर उसके सक्षम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए अतः अपीलार्थी से आग्रह किया जाता है कि आप सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो नगर निगम जोधपुर के लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अपील पेश करे। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।